न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

...सीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 71/2021 अन्तर्गत धारा 251 क RT Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :–

1. श्रीधर 2. जोधा 3. गुणेशा 4. दादूराम 5. मोहन पि. रामा 6. मूलाराम 7.मोटाराम 8.छगनलाल 9. रमेश कुमार 10.हीराराम पि. देवाराम 11.बादलीबाई 12. जीयाबाई पुत्री देवाराम 13.कमलादेवी पत्नी देवाराम 14.कृष्ण 15. दाऊ पि. जसा 16. समझू पत्नी जसा 17. शंकर पुत्र बरजांग 18.मूमल देवी पत्नी सुखाराम 19. भीमाराम 20. रूघाराम 21. गेमरराराम पि. सुखाराम जातियान गुरड़ा निवासीयान अली की ढाणी (देदूसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भमरराराम पुत्र भगवानाराम फौत के कायम मुकाम 1/1. मोहनलाल 1/2. गुलाराम 1/3. वासुराम उर्फ बसरराराम पि. भमरराराम 1/4. दरिया कुमारी 1/5. निरमा देवी पि. भमरराराम 1/6. गवरी देवी पत्नी भमरराराम जातियान गुरड़ा निवासी अली की ढाणी (देदूसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री विक्रमसिंह भाटी

वकील विप्रार्थीगण :– श्री जुगतसिंह सोढ़ा (1/1 से 1/3 व 1/6)

–:: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 21.11.2025

प्रार्थीगण श्रीधर पुत्र रामा जाति गुरड़ा निवासी अली की ढाणी (देदूसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी/संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा अली की ढाणी (देदूसर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा नं. 349 रकबा 112.12 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त जोत एवं ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थी के खसरा सं. 567/[illegible] रकबा 35.06 बीघा में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। [illegible] जोत एवं ढाणियों पर आने जाने से बाधित होते है। रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। प्रार्थीगण को विप्रार्थी के खसरा सं. 567/351 से 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

[illegible]गण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये [illegible]/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1/1 से 1/3 व 1/6 की ओर [illegible]धिवक्ता श्री जुगतसिंह सोढ़ा उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1/4 व 1/5 के नोटिस मय रिसिव रिपोर्ट प्राप्त बावजूद विप्रार्थी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में चाहे गये रास्ते के संबंध मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन लिखा गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील विप्रार्थी द्वारा फेरिश्त दस्तावेज के साथ मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी सं. 4766/2022 अनवान् भमराराम बनाम श्रीधर व अन्य निर्णय दिनांक 31.08.2022 पेश कर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट तबल कर तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट को निरस्त करते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर तथा विप्रार्थी को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

प्रार्थीगण द्वारा मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार प्रकरण मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन के पत्रांकः भू.अ./2025/992 दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील विप्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपतियां मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का पेश किया जिस पर बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्तियो का अस्वीकार कर खारिज किया गया। तथा विप्रार्थी सं. 1/1 से 1/3 व 1/6 के अधिवक्ता जवाब हेतु अंतिम से अंतिमतम अवसर दिया गया। वकील विप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया प्रकरण में जवाब ही मेरी बहस है। वकील प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही करने का निवेदन किया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें तहसीलदार द्वारा उल्लेखित किया गया कि खसरा संख्या 567/351 में से नक्शा में बरंग लाल दर्शाया ए से बी रास्ता मौके पर सही है। बरंग हरा दर्शाया गया रास्ता राज[illegible]री का है मगर मौके पर ऊंचा धोरा होने से चलने लायक नही है। अतः बरंग लाल रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई र[illegible] नही है।

प्रकरण में राज पेरोकार नायब तहसीलदार व प्रार्थीगण व विप्रार्थी के वकील उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	567/351	5.3823	बा.सो.	20 फीट	0.1214 हैक्टेयर	अली की ढाणी	विप्रार्थी सं. 1/1 से 1/6

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई निर्माण व कीमती पेड़ नही है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दोगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण /प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:11:36 IST
Reason: SelfAttested